अतिआवश्यक/महत्वपूर्ण

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश।

1-तिलक मार्ग लखनऊ।

डीजी परिपत्र संख्या- 67/2015 दिनांकःलखनऊःसितम्बर 28,2015

सेवा में,

1-समस्त जोनल पुलिस महानिरीक्षक, उत्तर प्रदेश ।
2-समस्त परिक्षेत्रीय, पुलिस उपमहानिरीक्षक, उत्तर प्रदेश ।
3-समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक प्रभारी जनपद उत्तर प्रदेश ।

इस मुख्यालय द्वारा समय-समय पर दुधारू पशुओं के अवैध वध एवं उनके अनाधिकृत परिवहन को रोकने हेतु समय-समय पर विस्तृत दिशा-निर्देश निर्गत किये गये हैं फिर भी वर्तमान समय में दुधारू पशुओं विशेषकर गौवध की घटनाऐं प्रकाश में आ रही हैं । इस प्रकार की घटनाओं से साम्प्रदायिक सौहार्द बिगड़ने के साथ-साथ इसका प्रतिकूल प्रभाव शान्ति व्यवस्था पर भी पड़ता है ।

2- उल्लेखनीय है कि दुधारू पशुओं के अवैध वध एवं उनके अनाधिकृत परिवहन को रोकने के सम्बन्ध में इस मुख्यालय से निम्नलिखित निर्देश/परिपत्र निर्गत किये गये हैं:-

(1)परिपत्र संख्या-29/2006 दिनॉक 28-8-2006
(2)डीजी-सात-एस-1(22)2013 दिनॉक 14-3-2013
(3)परिपत्र संख्या-14/2013 दिनॉक 26-4-2013
(4)डीजी-सात-एस-1(22)/2012 दिनॉक 9-7-2014
(5)डीजी-सात-एस-10(154)/2015 दिनॉक 8-9-2015
(6)परिपत्र संख्या-64/2015 दिनॉक 16-9-2015

3- उपरोक्त के अतिरिक्त गौवध/पशुओं की तस्करी एवं अवैध वध को रोकने के सम्बन्ध में निम्न प्राविधान भी विद्यमान हैं:-

(1)उ0प्र0 गोवध निवारण अधिनियम 1955
(2)पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1960
(3)पशुओं का परिवहन नियम 1978
(4)वधशाला नियम 2001
(5)पशुओं का पैदल परिवहन नियम 2001
(6)पशुओं के प्रति क्रूरता के निवारण हेतु सोसाइटियों का गठन नियम 2001

4- दुधारू पशुओं के अनाधिकृत परिवहन तथा अवैध वध को रोके जाने हेतु उ0प्र0 शासन द्वारा शासनादेश संख्या-164पी/छ-पु-3-2015-20पी/2010टी0सी0 दिनॉक 17-1-2015 द्वारा कार्यवाही हेतु निर्देश दिये गये हैं जो पुनः उद्धरित किये जा रहे हैं:-

(1)जनपद में स्थित पशुवधशालाओं का अधिकृत अधिकारियों द्वारा नियमित रूप से निरीक्षण किया जाय और सुनिश्चित किया जाय कि उन पशुवधशालाओं में पशुओं का अवैध कटान तो नहीं हो रहा है । यदि ऐसा है तो सम्बन्धित व्यक्तियों के विरूद्ध कठोर कार्यवाही सुनिश्चित की जाय ।

(2)जनपदों में यह अभिसूचना भी विकसित की जाय कि जनपद में कहीं अवैध पशुवध तो नहीं हो रहा है । यदि ऐसा है तो सम्बन्धित व्यक्तियों के विरूद्ध कठोर कार्यवाही की जाय।

(3)विगत पॉच वर्षों में पशुओं की तस्करी के सम्बन्ध में एकत्रित सूचनाओं का अवलोकन कर ऐसे मार्गों को चिन्हित कर लिया जाय, जहॉ पशु तस्करी की अत्यधिक घटनायें घटित हुई हैं । इन मार्गों पर आकस्मिक निरीक्षण की व्यवस्था सुनिश्चित की जाय।

(4)पशु तस्करों के बारे में विलेज क्राइम नोटबुक में अंकन किया जाय । ऐसे अपराधी जो पूर्व में भी इन गतिविधियों में संलिप्त रहे हैं, पुनः ऐसे अपराध कारित करते हुए पाये जाते हैं, तो इन अपराधियों के विरूद्ध हिस्ट्रीशीट खोलकर कार्यवाही सुनिश्चित की जाय।

(5)प्रत्येक थाना क्षेत्र में साप्ताहिक/पाक्षिक/मासिक रूप से लगने वाले पशु मेला/हाट का निरीक्षण कर विधिक प्राविधानों का अनुपालन सुनिश्चित कराया जाय तथा कठोर निगरानी रखी जाय । पशुओं की खरीद फरोख्त करने वाले व्यापारियों के सम्बन्ध में पूर्ण जानकारी एकत्रित की जाय ।

(6)जनपद में अवैध पशु वध रोकने के अभियान के दौरान बचाये जाने वाले पशुओं के लिए सरकारी/निजी शेल्टर/काजी हाउस को भी चिन्हित कर लिया जाय ताकि बचाये गये पशुओं को इन स्थानों पर भेजा जा सके ।

(7)प्रदेश की सीमा से अन्य राज्यों को जोड़ने वाले मार्गों पर भी कड़ी निगरानी रखी जाय और नियमित चेकिंग की जाय, जो कि पशु तस्करी की दृष्टि से संवेदनशील है।

5- उपरोक्त निर्देशों/प्राविधानों के उपरॉत भी गौवध की घटनाएँ प्रकाश में आ रही हैं जिससे स्पष्ट होता है कि निहित प्राविधानों तथा शासन एवं इस मुख्यालय द्वारा निर्गत निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित नहीं किया जा रहा है और न ही इनका नियमित अनुश्रवण ही किया जा रहा है जो कि अत्यन्त आपत्तिजनक है।

6- अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि अपने अधीनस्थ अधिकारियों/कर्मचारियों को गौवध/पशुओं की तस्करी को रोकने हेतु निहित प्राविधानों,शासन एवं इस मुख्यालय द्वारा समय-समय पर निर्गत संदर्भित निर्देश/परिपत्रों से भली-भॉति अवगत कराते हुए यह निर्देशित किया जाय कि वे गौवध/पशुओं की तस्करी करने वालों के विरूद्ध नियमान्तर्गत विधिसम्मत कार्यवाही कराना सुनिश्चित करें। यदि इस सम्बन्ध में किसी भी प्रकार की शिथिलता बरती जायेगी तो वह क्षम्य नहीं होगी ।

28/9/15

(जगमोहन यादव)
पुलिस महानिदेशक,
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- पुलिस महानिदेशक रेलवे, उ0प्र0 लखनऊ।
2- पुलिस महानिदेशक, प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ।
3- पुलिस महानिदेशक, अभियोजन, उ0प्र0 लखनऊ।